138

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

आदेश

आदेश संख्या–6ए/वि03–105/2020– 386 पटना, दिनांक– 21/12/2020

सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "हर घर नल का जल" योजना के कार्यान्वयन के कारण विभाग अन्तर्गत कार्यरत संवेदको की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसा पाया जा रहा है कि कई संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर लंबित रखा जाता है। कई मामलों में संवेदक द्वारा आवंटित कार्य करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है अथवा कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है। कार्य लंबित रहने/समयानुसार पूर्ण नहीं होने से जनहित कुप्रभावित होता है।

विभाग में संवेदकों के निबंधन एवं उनके निबंधन के निलंबन आदि के संबंध में 'बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007' लागू हैं।

वर्तमान में विभाग अन्तर्गत निबंधन/निलंबन आदि की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

1. निबंधन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी– मुख्य अभियंता (नागरिक)
2. काली सूची में डालने/डिमोट करने/निलंबन (Debar) का आदेश का कार्य– मुख्य अभियंता (नागरिक)
3. निलंबन (Debar)/काली सूची/डिमोट की वापसी – प्रधान सचिव/सचिव

संवेदकों द्वारा कार्य में शिथिलता एवं रूचि नहीं लिये जाने की स्थिति में कार्यपालक अभियंताओं से संवेदकों को डीबार करने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता (ना0)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव को भेजा जाता है। मुख्यालय स्तर पर डीबार प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त संवेदकों से कारण पृच्छा की जाती है तथा कारण पृच्छा प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त डीबार किये किये जाने पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगने से संवेदकों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है तथा इसका प्रभाव कार्य प्रगति पर प्ड़ता है।

पथ निर्माण विभाग में ठीकेदारों के निलंबन (डीबार) करने की शक्ति कार्यपालक अभियंताओं को प्रदत्त है। तदनुसार कार्य में शिथिलता के लिए या वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में एकरारनामा के अनुसार समय पूरा होने के बाद भी एकरारनामा में प्रावधानित कार्यों को 80 प्रतिशत से कम पूरा किया गया है, अथवा कार्य आवंटन उपरान्त कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है/कार्य छोड़ दिया गया है/कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, उनको SBD/MBD के प्रावधान के आलोक में (सामान्य निदेश की कंडिका–3.3 एवं 4.8) दोषी घोषित किया जायेगा एवं उनके द्वारा लंबित कार्यों को पूरा करने तक किसी भी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा, भले ही संवेदक अन्य निविदा शर्तों को पूरा करते हो। अर्थात् संवेदकों को डीबार किया जायेगा। संवेदक को डीबार करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारा उनसे कारण पृच्छा किया जाना अनिवार्य होगा।

अतएव संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निम्न प्रक्रिया लागू होगी:–

1. Single Division (एकल प्रमंडल) क्षेत्रान्तर्गत एकरारनामा की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता, संवेदक को डीबार करने हेतु सक्षम होंगे।

समेकित रूप से कार्य पूर्ण होने के प्रमाण के उपरान्त ही संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा Debarment मुक्ति का आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि संवेदक अगली निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम हो सके।

संवेदक द्वारा भौतिक रूप से कार्य समाप्ति को Completion date माना जायेगा।

2. बहु प्रमण्डलीय (Multi Division) एकरारनामा की स्थिति में:–

(क) यदि एकरारनामा के तहत आच्छादित प्रमण्डल एक ही अंचल के अन्तर्गत हो तो कार्यपालक अभियंता से अनुशंसा प्राप्ति के पश्चात् संबंधित अधीक्षण अभियंता Debarment के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।

समेकित रूप से कार्य पूर्ण होने के प्रमाण के उपरान्त ही संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा Debarment मुक्ति का आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि संवेदक अगली निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम हो सके।

संवेदक द्वारा भौतिक रूप से कार्य समाप्ति को Completion date माना जायेगा।

(ख) यदि एकरारनामा अन्तर्गत आच्छादित प्रमण्डल एक से ज्यादा अंचल (एक ही प्रक्षेत्र के अधीन) के अन्तर्गत हो तो, प्रमण्डल एवं अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा के पश्चात् संबंधित प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा Debarment मुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा। आदेश की प्रति मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि संवेदक अगली निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम हो सके।

संवेदक द्वारा भौतिक रूप से कार्य समाप्ति को Completion date माना जायेगा।

(ग) यदि एकरारनामा के अन्तर्गत आच्छादित प्रमंडल बहु प्रक्षेत्रीय हो तो, मुख्यालय स्तर प्राधिकृत मुख्य अभियंता द्वारा Debarment हेतु निर्णय लिया [illegible]

कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा के पश्चात् संवेदक को Debarment मुक्ति पर निर्णय अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव द्वारा लिया जायेगा।

(घ) संवेदक को काली सूची में डालने पर निर्णय एवं आदेश मुख्यालय स्तर से पूर्व की तरह ही लागू रहेगा।

काली सूची/पदावनत के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अन्दर प्रधान सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

उक्त पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2885 दिनांक– 21/12/2020

प्रतिलिपि:–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2885 दिनांक– 21/12/2020

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/विशेष पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (ना0/रू0पा0)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0–I एवं II)/उपनिदेशक (अन्वे0)/उपनिदेशक(मू0)/प्रशाखा–6ए0 एवं 6बी0/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि विभागीय वेबसाइट पर इस आदेश को तत्काल अपलोड करें।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

आदेश

आदेश संख्या-6ए/वि03-105/2020- 970 पटना, दिनांक- 18/6/2021

विभाग अंतर्गत निबंधित संवेदकों को डीबार करने एवं डीबार से मुक्त करने के संबंध में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अधिकृत करते हुए विभागीय आदेश संख्या 386, दिनांक 21.12.2020 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है, उक्त आदेश द्वारा संवेदकों के डीबार करने एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात् डीबार से मुक्त करने हेतु एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या 386, दिनांक 21.12.2020 के कंडिका-1 एवं 2 को विलोपित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है।

1. Single Division (एकल प्रमंडल) क्षेत्रान्तर्गत एकरारनामा की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता, संवेदक को Debarment करने हेतु सक्षम होंगे।
2. बहु प्रमण्डलीय- (Multi Division) एकरारनामा की स्थिति में:-

(क) यदि एकरारनामा के तहत आच्छादित प्रमण्डल एक ही अंचल के अन्तर्गत हो, तो कार्यपालक अभियंता से अनुशंसा प्राप्ति के पश्चात् संबंधित अधीक्षण अभियंता Debarment के लिए सक्षम प्राधिकार होगें।

(ख) यदि एकरारनामा के अंतर्गत आच्छादित प्रमंडल एक ही प्रक्षेत्र के बहु अंचलीय हो तो, संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता Debarment के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।

(ग) यदि एकरारनामा के अन्तर्गत आच्छादित प्रमण्डल बहु प्रक्षेत्रीय हो तो, मुख्यालय स्तर पर प्राधिकृत मुख्य अभियंता Debarment के लिए सक्षम प्राधिकार होगें।

(घ) संवेदक को काली सूची में डालने पर निर्णय एवं आदेश मुख्यालय स्तर से पूर्व की तरह लागू रहेगा।

काली सूची/ पदावनत के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अंदर प्रधान सचिव/ सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

कार्यो के गुणवत्ता पूर्ण सम्पादन के उपरान्त संबंधित कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एंव क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अनुशंसा अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव को प्रेषित की जायेगी एवं संवेदक को Debarment मुक्ति पर निर्णय लेने हेतु सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

उक्त पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(दयाशंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

10 प्रति
151

ज्ञापांक-6ए/वि03-105/2020- 970 पटना, दिनांक- 18/6/2021

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-6ए/वि03-105/2020- 970 पटना, दिनांक- 18/6/2021

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियंता(मो0)/कार्यपलाक अभियंता (मो0-1 एवं 2)/उपनिदेशक (अन्वे0/उपनिदेशक (मू0)/प्रशाखा-6ए एवं 6बी/ आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि विभागीय वेबसाईट पर इस आदेश को तत्काल अपलोड करें।

(दयाशंकर मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव